[17/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 458]

परिशिष्ट–''अ''

अतारांकित प्रश्न क्रमांक. 458

द्वारा–माननीय विधायक श्री प्रदीप पटेल

<u>प्रश्नांश ''क'' का उत्तर</u>

सतना जिले के थाना धारकुण्डी में जयतमाल बाबा स्व सहायता समूह कारीगोही उपार्जन केन्द्र में गेहूं के फर्जी परिवहन के संदर्भ में अपराध क्रमांक 61/24 धारा 406,417,420,467,468,471, 120(बी) भादवि दिनांक 20.05.2024 को कायम किया गया था, जिसमें संलिप्त गेहूँ के समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित कीमत 92,64,000/– रूपये एफ.आई. आर. में उल्लेखित है।

प्रकरण की विवेचना की जाकर आरोपी शिवा सिंह पिता केवल सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी कारीगोही को गिरफ्तार कर चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में दिनांक 26.09.2024 को प्रस्तुत किया गया है। आरोपी सम्राट पिता रामपाल सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी जवान सिंह कॉलोनी सतना को दिनांक 28.09.2024 को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में शेष आरोपी 1. सीता गिरी पति अरूणेन्द्र सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी कारीगोही थाना धारकुण्डी जिला सतना 2. अभिलाषा सिह पति संजय सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी कारीगोही थाना धारकुण्डी जिला सतना 3. धनंजय द्विवेदी पिता अनिल द्विवेदी निवासी पीपरी टोला थाना सभापुर जिला सतना 4. नरेन्द्र पाण्डेय पिता 5. संजय तिवारी पिता गिरजा प्रसाद तिवारी निवासी बाबूपुर थाना उचेहरा 6. अमन उर्फ पुष्कराक्ष पिता रमाशंकर पाण्डेय निवासी मारूति नगर थाना सिटी कोतवाली जिला सतना 7. राजकरण द्विवेदी निवासी बांदी थाना सभापुर जिला सतना 8. म0प्र0 आईडी राकेश सिंह –9981727160 9. आईडी सतीश कुमार द्विवेदी–9981727160 एवं अन्य के विरूद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत अनुसंधान जारी है। उपरोक्त कार्यवाही के आलोक में पुलिस द्वारा आरोपियों को संरक्षण देकर उनसे सांठ–गांठ कर प्रकरण में खात्मा लगाकर मामले को रफा–दफा करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–"ब"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक. 458

द्वारा–माननीय विधायक श्री प्रदीप पटेल

<u>प्रश्नांश "ख" का उत्तर</u>

प्रश्न दिनांक तक प्रकरण की विवेचना में प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी नागेन्द्र सिंह, नागरिक आपूर्ति निगम के डिवीजनल या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एवं परिवहनकर्ता के मालिक की अपराध में संलिप्तता नहीं पाये जाने के कारण इन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। प्रकरण 173(8) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत अनुसंधान में है। साक्ष्य संकलन कर अनुसंधान किया जा रहा है, साक्ष्य प्राप्त होने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

[illegible]

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–"स"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक. 458

द्वारा–माननीय विधायक श्री प्रदीप पटेल

<u>प्रश्नांश "ग" का उत्तर</u>

पुलिस रेग्युलेशन में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर गतिशील विवेचनाओं का पर्यवेक्षण जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करने का प्रावधान है। सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिले की विवेचना की पर्यवेक्षण का प्रावधान पुलिस रेग्युलेशन में नहीं है। अतः प्रश्नांश को विलोपित करने हेतु दिनांक 24.11.2024 को पत्र गृह विभाग भेजा गया है।

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल.

29.11
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner